कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन(म.प्र.)

//ज्ञापन// 31 JAN 2025

क्रमांक 1150 **/दो–12–09/15(फा 121)** **उज्जैन, दिनांक................**

प्रति,

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण,
   जिला मुख्यालय उज्जैन एवं
   समस्त तहसील खाचरौद/नागदा/बडनगर/महिदपुर/तराना
2. समस्त न्यायिक तृतीय एवं चतुर्थश्रेणी कर्मचारीगण,
   जिला मुख्यालय उज्जैन एवं
   समस्त तहसील खाचरौद/नागदा/बडनगर/महिदपुर/तराना

विषय :– नियमित शासकीय सेवकों एवं मानदेय/संविदा/दैनिक वेतनभोगी शासकीय सेवकों को IFMIS के अंतर्गत का समग्र आईडी से सत्यापन एवं आधार से लिंक किये जाने के संबंध मे।

संदर्भ :– कार्यालय कलेक्टर (कोषालय शाखा), जिला उज्जैन मध्यप्रदेश का पत्र कं. /कोषालय शाखा/समग्र/2024–25/2067 उज्जैन, दिनांक 28.01.2025।

–00–

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भ में आदेशानुसार लेख है कि मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा संधारित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) के अंतर्गत उपलब्ध शासकीय सेवकों की जानकारी का सत्यापन समग्र आईडी से किया जाना है एवं वेतन भुगतान आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) के माध्यम से किये जाने के संबंध में समस्त शासकीय सेवकों को IFMIS के अंतर्गत Employee Self Service Profile के माध्यम से अपनी समग्र आईडी की प्रविष्टि कर जानकारी सत्यापित किये जाने एवं IFMISमें समग्र आईडी की प्रविष्टि करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल द्वारा सुविधा दिनांक 16 दिसंबर 2024 से उपलब्ध करायी गयी है तथा IFMIS में समग्र आईडी की प्रविष्टि एवं सत्यापन से पूर्व समस्त शासकीय सेवकों को समग्र आईडी का पंजीयन/अद्यतन एवं आधार से लिंक समग्र पोर्टल http://samagra.gov.in के माध्यम से स्वयं के द्वारा सुनिश्चित किया जाना है एवं जिस बैंक खाते में वेतन प्राप्त हो रहा है, उसे बैंक खाते को आधार से भी आवश्यक रूप से लिंक कराया जाना है।

अतः उपरोक्त कार्य को स्वयं के द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2025 तक अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करे।

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)